

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii))

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

Notification

New Delhi, the 31st day of December, 2014

INCOME-TAX

S.O. ____ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (14) of section 144C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax (Dispute Resolution Panel) Rules, 2009, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Dispute Resolution Panel) (First Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on 1st January, 2015.

2. In the Income-tax (Dispute Resolution Panel) Rules, 2009, in rule 3, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Board may, on the basis of workload and for efficient functioning, constitute panel in the places specified in column (2) of the Table below, having jurisdiction over the areas specified in column (3) thereof.

Table

Sl. No.	Name of the Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Delhi	(1) National Capital Territory of Delhi (2) States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Union territory of Chandigarh, (3) States of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and Himachal Pradesh (4) States of Bihar, Odisha and Jharkhand (5) States of West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Union territory of Andaman and Nicobar Islands
2.	Mumbai	(1) Mumbai (Area lying within the territorial limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation) (2) Rest of Maharashtra (3) States of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union

		territories of Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli
3.	Bengaluru	States of Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Goa and Union territories of Puducherry and Lakshadweep

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Board shall constitute panels at headquarters referred to in sub-rule (1) and assign three Commissioners of Income-tax to each panel as Members.";

(iii) for sub-rule (3) and sub-rule (3A), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(3) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) or Chief Commissioner of Income-tax(International Taxation) may, after giving the eligible assessee an opportunity of being heard and after recording the reasons, transfer a case from one panel to another panel under their jurisdiction.


(3A) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) may, after giving the eligible assessee an opportunity of being heard and after recording the reasons, transfer a case from the jurisdiction of -

- (a) the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) to the jurisdiction of any Chief Commissioner of Income-tax(International Taxation); or
- (b) the Chief Commissioner of Income-tax(International Taxation) to the jurisdiction of the other Chief Commissioner of Income-tax(International Taxation) or the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation).";

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) or the Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) of the region where headquarters of the panel is located shall, for the purposes of sub-rule (4), constitute the secretariat for the panel.".

[Notification No. 91/2014/ F.No. 500/25/2014-SO/FT&TR-2(1)]


A. SREENIVASA RAO
Director(FT&TR-II)

[भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग II - खण्ड 3 - उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

आयकर

का.आ.----(अ).- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 144ग की उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा आयकर (विवाद समाधान पैनल) नियमावली, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:-

1. (1) इन नियमों को आयकर (विवाद समाधान पैनल) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाए।
(2) वे 01 जनवरी, 2015 को लागू होंगे।
2. आयकर (विवाद समाधान पैनल) नियमावली, 2009 के, नियम 3 में -
(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(1) कार्यभार के आधार पर तथा कुशल कार्य-पद्धति के लिए बोर्ड नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित स्थानों पर पैनल का गठन करेगा, जिनका क्षेत्राधिकार कॉलम (3) में निर्धारित क्षेत्रों पर होगा।

तालिका

क्रम सं.	मुख्यालय का नाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
(1)	दिल्ली	(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2) पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर राज्य एवं चंडीगढ़ संघ क्षेत्र (3) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश राज्य (4) बिहार, ओडिसा एवं झारखंड राज्य (5) पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र
2.	मुंबई	(1) मुंबई (महा मुंबई नगर निगम तथा नवी मुंबई नगर निगम की क्षेत्रीय सीमाओं में आने वाले क्षेत्र) (2) शेष महाराष्ट्र

		(3) गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य एवं दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघीय क्षेत्र
3.	बैंगलूरु	कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा राज्य एवं पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप संघीय क्षेत्र

(ii) उप नियम (2) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः-

"(2) बोर्ड उपनियम (1) में संदर्भित मुख्यालय पर पैनल गठित करेगी तथा प्रत्येक पैनल को सदस्य के रूप में तीन आयकर आयुक्त नियुक्त करेगी।"

(iii) उप नियम (3) तथा उपनियम (3क) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, नामतः-

"(3) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) अथवा मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) पात्र निर्धारिती को सुनवाई किये जाने का एक अवसर देने के बाद तथा कारणों को रिकार्ड करने के बाद एक मामले को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक पैनल से दूसरे पैनल को हस्तांतरित कर सकते हैं।

(3क) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) पात्र निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा कारणों को रिकार्ड करने के बाद एक मामले को निम्नलिखित के क्षेत्राधिकार से हस्तांतरित कर सकता है-

(क) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) से किसी मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) के क्षेत्राधिकार को,"

(ख) मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) से दूसरे मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) के क्षेत्राधिकार को,"

(iv) उपनियम (5) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः-

"(5) उस क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) अथवा मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), जहाँ पैनल का मुख्यालय स्थित है, उपनियम (4) के प्रयोजनार्थ पैनल के लिए सचिवालय का गठन करेगा।"

[अधिसूचना सं. १/2014/फा.सं. 500/25/2014-का.आ./-एफटी एंड टीआर-2(1)]

21/11/2014

(ए श्रीनिवासा राव)

निदेशक (एफटी एंड टीआर-II)